फा0सं0 15010-2/2014-रा0भा0ए0

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

राजभाषा प्रभाग

....

नई दिल्ली, दिनांक 07 जनवरी, 2016

कार्यालय-ज्ञापन

विषय: सरकारी कामकाज में सुगम, सरल और सहज हिंदी का प्रयोग।

......

उपर्युक्त विषय पर सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, के दिनांक 28 दिसम्बर, 2015 के पत्र संख्या 14011/02/2011-रा0भा0(नीति) की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है ।

(गजराज सिंह)

उप निदेशक(राजभाषा)

वितरण:

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सभी अधिकारी/अनुभाग।
2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी विश्वविद्यालयों/प्रबंध संस्थानों/नोंप्रौधोगिकी संस्था/कार्यालयों के प्रमुखों को प्रेषित।

1094/16

गिरीश शंकर, आई.ए.एस.
सचिव

Girish Shankar, IAS
SECRETARY
Tel. : 23438266 Telefax : 23438267
E-mail : secy-ol@nic.in

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय
तृतीय तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001

GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
3rd FLOOR, N.D.C.C.-II BHAWAN,
JAI SINGH ROAD, NEW DELHI-110001
www.rajbhasha.gov.in

फाइल सं.14011/02/2011-रा.भा. (नीति) दिनांक 28 दिसम्बर, 2015

विषय: सरकारी कामकाज में सुगम, सरल और सहज हिंदी का प्रयोग ।

प्रिय महोदय/महोदया,

आपको ज्ञात है कि संघ की राजभाषा हिंदी है। सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग और प्रचलन विगत दशकों में नि:संदेह बढ़ा है, किंतु हिंदी का पूर्णत: प्रयोग अभी भी नहीं हो रहा है। चूंकि संघ सरकार की राजभाषा हिंदी है अत: यह हमारा संवैधानिक दायित्व है कि हम अपने कामकाज में हिंदी का प्रयोग सुनिश्चित करें।

2. राजभाषा हिंदी के प्रयोग के मामले में जो बात बार-बार चर्चा का विषय बनती है, वह है सरल हिंदी का प्रयोग। आम बोलचाल की हिंदी के शब्दों को कार्यालयों के कामकाज में प्रयोग में लाया जाना चाहिए। हिंदी के सरल, सहज एवं सुस्पष्ट शब्दों का प्रयोग करके छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग टिप्पणी लेखन एवं पत्राचार के लिए किए जाने से हिंदी के प्रति सबकी रुचि बढ़ेगी। सरकारी कामकाज में हिंदी सिर्फ अनुवाद की भाषा बनकर न रह जाए, इसलिए आवश्यक है कि मंत्रालयों/विभागों में उच्चतम स्तर पर सरल हिंदी का प्रयोग किया जाए, जिससे अनुभाग/प्रभाग स्वत: अपने कामकाज में मूल रूप में सहज हिंदी का प्रयोग करेंगे।

3. देश की सामासिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने के लिए हिंदी के विकास हेतु सरकार ने अनेक संस्थाएं बनाई हैं, जिनमें केंद्रीय हिंदी निदेशालय, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो,

2

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, विधायी विभाग आदि प्रमुख हैं। इनके माध्यम से सरकार ने प्रशिक्षण सामग्री तैयार कराने और प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की है। सभी विषयों पर शब्दावली का निर्माण किया गया है तथा संहिताओं और नियम पुस्तकों का हिंदी अनुवाद सुलभ कराया गया है। इन संस्थाओं से भी यह आग्रह है कि आवश्यकतानुसार शब्दावली, अनुवाद और प्रशिक्षण आदि में हिंदी के सरल, सहज और सुगम शब्दों और रूप को प्राथमिकता दें।

4. सरकार के अधीन काम करते हुए सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का दायित्व है कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का लाभ लेते हुए हिंदी की सरलता, सुगमता, सहजता और एकरूपता पर विशेष ध्यान देते हुए हिंदी में कार्य करें और आम बोलचाल की भाषा में मूल रूप से टिप्पणी एवं मसौदा लेखन को प्रोत्साहित करें।

5. अत: अनुरोध है कि सरकारी कामकाज में संघ की राजभाषा हिंदी का प्रयोग सुनिश्चित करते हुए इसके सरल, सहज और सुगम रूप पर विशेष ध्यान देने का कष्ट करें।

शुभकामनाओं के साथ,

आपका

(गिरीश शंकर)

सचिव

समस्त मंत्रालय/विभाग,

भारत सरकार

1. प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।
2. मंत्रिमंडल सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशासन) को इस अनुरोध के साथ कि वे इस पत्र की प्रतियां अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों में परिचालित करें।

4. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप-निदेशक/सहायक निदेशक स्तर के मंत्रालय/विभाग में हिंदी इकाई के प्रभारी अधिकारी को इस अनुरोध के साथ कि वे इस पत्र की प्रतियां अपने मंत्रालय/विभाग से संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों में परिचालित करें।
5. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
6. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
7. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
8. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली ।
9. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
10. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
11. भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली ।
12. महालेखाकार, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
13. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग ।
14. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।
15. निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली ।
16. निदेशक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, आर.के.पुरम, वेस्ट ब्लाक-7, नई दिल्ली ।
17. संसदीय राजभाषा समिति सचिवालय, नई दिल्ली ।
18. समस्त क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने क्षेत्राधिकार में स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को भी इसकी प्रतियां परिचालित करें।
19. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।
20. निजी सचिव, माननीय गृह मंत्री
21. निजी सचिव, माननीय गृह राज्य मंत्री।

(गिरीश शंकर)
सचिव, राजभाषा विभाग